

फर्द अहकाम

क्रमांक _____

बनाम _____

दिनांक संख्या/वर्ष _____ : _____ / 20 _____

| क्रमांक | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---------|---------------------------|---|-------------|
| | ०९/१२/२५ | <p>पत्रावली पैरा ६(२) वकील वादी प्रतिवादी सं. ३ आदेशानुसार दिनांक १२/१२/२५ के लिए है।</p> | |
| | १३/१२/२५ | <p>पत्रावली पैरा ६(२) वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. ३ पैरोकार सरकार आदिनांक तक उपस्थित नहीं और ना ही ठनकी और से जवाब पैरा किया गया है। पत्रावली उप उपलब्ध किर्कोड का अवलोकन करने तथा वकील वादी की बहस पर मनन करने के पश्चात् न्यायद्वि में वादी का वाद डिक्ली किया जाता है। निर्णय पृथक् से हकिम होकर शा. मि. ही प्रकरण केसल शुमार होकर बाद तमसील दर्ज नंबर से रुम ही निर्णय खुले न्यायालय में बुनाया गया।</p> | |

[Signature]

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्नदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 दीवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी:- कनक जैन (आर.ए.एस.)

वाद संख्या- 245/2022

- 1- जयराम पुत्र सांवता
- 2- रामकृष्ण पुत्र हनुमान
- 3- देवदत्त पुत्र हनुमान
- 4- श्योनारायण पुत्र जगन्नाथ

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम देवगांव तहसील तूंगा जिला जयपुर

- वादीगण

बनाम

- 1- गोपाल पुत्र महादेव
- 2- उर्मिला पुत्री भागीरथ
- 3- तोफानी पुत्री भागीरथ
- 4- मनभर पुत्री भागीरथ
- 5- ग्यारसी पत्नि भागीरथ
- 6- कालूराम पुत्र भागीरथ
- 7- सीताराम पुत्र भागीरथ
- 8- कृष्ण कुमार पुत्र छोटू
- 9- काना पुत्र छोटू
- 10- धोलू उर्फ रामफूल पुत्र गंगाराम
- 11- धन्ना पुत्र शंकर
- 12- पूरण पुत्र मोटा

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम देवगांव तहसील तूंगा जिला जयपुर

- 13- उप पंजीयक तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर।
- 14- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर।

- प्रतिवादीगण

- 15- रामजीलाल पुत्र देवीनारायण
- 16- मुकेश पुत्र देवीनारायण
- 17- विक्रम पुत्र देवीनारायण
- 18- बाबूलाल पुत्र नानगा
- 19- प्रहलाद पुत्र नानगा
- 20- हनुमान पुत्र नानगा
- 21- रोशन पुत्र नानगा
- 22- रामनारायण पुत्र छाजू
- 23- माधोलाल पुत्र छाजू
- 24- मांगीलाल पुत्र मंगला
- 25- जगदीश पुत्र रामसहाय

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम देवगांव तहसील तूंगा जिला जयपुर।


-तरतीबी प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक- 13/05/2024
दावा घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर 1041 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1042 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1043 रकबा 0.1900 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.5200 हैक्टेयर स्थित ग्राम ग्वालिनी पटवार हल्का माधोगढ भूअभिलेख निरीक्षक तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर में जो भाग प्रतिवादी के राजस्व नक्शे में शामिल कर दिया गया है उसे खसरा नम्बर 1041, 1042, 1043 में शामिल करते हुये वर्तमान राजस्व को दुरुस्त किया जावे एवं प्रतिवादी सं 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी एवं बाधा उत्पन्न नही करें।

.....निजी.....मुबलिक.....
 बाबत.....खर्चाइस मुकददमें का मय सूद वगैरह...
फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।
 बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 13.05.2024 को जारी किया गया।

मोहर



दस्तख्त *[Signature]*

ओहदा: *[Signature]*

| मुददई | रुपये | पैसे | मुददायलह | रुपये | पैसे |
|--|-------|------|--|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान | | | स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान | | |

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

[Signature]
 सहायक कलेक्टर
 बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण